



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-06102026-276835
CG-RJ-E-06102026-276835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5239]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 5239]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

जयपुर, 5 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5449(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) एवं रेल (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में “उत्तर पश्चिम रेलवे के लूनी – मारवाड़ खंड (71.62 किलोमीटर) का दोहरीकरण” की विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक परियोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ‘सक्षम प्राधिकारी’ के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप खण्ड अधिकारी, पाली	पाली	पाली
2	उप खण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	पाली
3	उप खण्ड अधिकारी, रोहट	रोहट	पाली

[फा.सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(North Western Railway)

NOTIFICATION

Jaipur, the 5th October, 2026

S.O. 5449(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project “Doubling between Luni – Marwar section (71.62 Km.) of North Western Railway” in the state of Rajasthan relating to the sub-divisions mentioned in column (3), district mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Officer, Pali	Pali	Pali
2	Sub Divisional Officer, Marwar Junction	Marwar Junction	Pali
3	Sub Divisional Officer, Rohat	Rohat	Pali

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Construction)